न्यायालय जिला कलेक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

राजस्व अपील संख्या: 12/65/2025 GCMS No. 2025/231

पेश दिनांक: 22.04.2026 **निर्णय दिनांक:** 22.04.2026

सुभाष पुत्र कमल, जाति जाट, निवासी ग्राम झाबुआ, तहसील बावल, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) — अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मुंडावर, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) — प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत: राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

अपीलित आदेश: न्यायालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, प्रकरण संख्या 317/24

उपस्थितिः

1. अपीलकर्ता पक्ष – उपस्थित
2. प्रत्यर्थी पक्ष – अनुपस्थित

निर्णय

यह राजस्व अपील अपीलकर्ता द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अभिलेख से स्पष्ट है कि मूल प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें सरकारी भूमि/रास्ते पर अतिक्रमण के संबंध में कार्यवाही की गई। मूल आदेश में यह भी अंकित है कि मौके की रिपोर्ट, पटवारी प्रतिवेदन तथा अन्य राजस्व अभिलेखों के आधार पर अपीलकर्ता के विरुद्ध अतिक्रमण संबंधी निष्कर्ष निकाला गया।

अपीलकर्ता ने अपने अपील–पत्र में कहा है कि अपीलित आदेश तथ्य एवं कानून के विपरीत है; उसे पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया; निरीक्षण तथा राजस्व अभिलेखों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया; तथा विवादित भूमि/रास्ते के संबंध में पारित आदेश उचित नहीं है। अपील–पत्र में अपीलकर्ता ने यह भी कहा है कि मूल न्यायालय ने उपलब्ध सामग्री की सही सराहना नहीं की और आदेश त्रुटिपूर्ण रूप से पारित किया।

मैंने अपील–पत्र, अपीलित आदेश, अभिलेख पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट, मौका निरीक्षण विवरण तथा अन्य राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मूल न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह स्पष्ट है कि आदेश केवल अनुमान या एकांगी आधार पर पारित नहीं किया गया, बल्कि अभिलेखीय सामग्री तथा मौके की स्थिति को ध्यान में रखकर पारित किया गया। अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप तभी किया जाना चाहिए जब मूल आदेश में स्पष्ट तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि, अधिकारिता का अतिक्रमण, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन सिद्ध हो। मात्र वैकल्पिक दृष्टिकोण के आधार पर आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता।

अभिलेख से ऐसा कोई पर्याप्त आधार प्रमाणित नहीं होता जिससे यह कहा जा सके कि मूल न्यायालय ने धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कोई गंभीर अवैधानिकता, अनियमितता या अधिकारिता संबंधी त्रुटि की है। उपलब्ध सामग्री से यह परिलक्षित है कि राजस्व अमले द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, रिपोर्ट तैयार की गई और उसी के आधार पर अपीलित आदेश पारित किया गया। अपीलकर्ता अपीलीय स्तर पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे मूल आदेश को असंगत या अभिलेख–विरुद्ध माना जा सके।

अतः समस्त अभिलेखीय सामग्री, अपील के आधारों तथा अपीलित आदेश के परीक्षण के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपील निराधार है और अपीलित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राज.)

आदेश

1. अपीलकर्ता सुभाष पुत्र कमल, जाति जाट, निवासी ग्राम झाड़का, तहसील बावल, जिला रेवाड़ी (हरियाणा) द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील निरस्त की जाती है।
2. न्यायालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, प्रकरण संख्या 317/24, यथावत कायम रखा जाता है।
3. संबंधित मूल न्यायालय/तहसीलदार, मुंडावर द्वारा आदेश की पालना नियमानुसार सुनिश्चित की जाए।
4. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।
5. पत्रावली नियमानुसार दफ्तरी की जाए।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा (राज.)

खैरथल-तिजारा (राज.)